प्राथमिकता

पत्र संख्या-स्था-5(ग) आ0ले0प0 /परिपत्र / 2024-2025/ 278 / राज्य कर

प्रेषक,

अपर आयुक्त, (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- **समस्त जोनल अपर आयुक्त , राज्य कर उत्तर प्रदेश ।**

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) **लखनऊ/दिनांक** 10 **-04- 2024**

महोदय,

कृपया निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ के क्रमशः पत्र संख्या आ0ले0प0-4198/8089/ चा0प्र0प्रो0 /2022, लखनऊ दिनांक 15.03.2024, प0स0 आ0ले0प0-4097/8160/अधि0/मा0स0/2018, लखनऊ दिनांक 07.03.2024 एवं प0स0 आ0ले0प0/ 3965/ 8160 / अधि0/ मानव सम्पदा / 2018 दि0 27.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा क्रमशः लेखा / लेखा परीक्षा संवर्ग के कार्मिकों की चरित्र पंजिका प्रविष्टियाँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में , उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-7/2023/293 / सामान्य / सैंतालीस-का-4-2023 दि0 03.08.2023 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तथा लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के मानव सम्पदा पोर्टल पर चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रबल कुमार)
संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) , राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट के सूचना बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु ।

10.4.24

संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) , राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

\letter.docx

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ–226007

Website:-upiaad.up.gov.in Telephone:-0522–4331772/0522–4331773

E-mail:-dia.upfinance@gmail.com E.H.R.M.S Code:-1531435

अनुस्मारक/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

आ०ले०प०-3965/8160/अधि०/मानव सम्पदा/2018, दिनांक 27.2.2024

विषय : लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति के विवरण दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024 दिनांक 22-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 9/2023/418/सैंतालीस-का-4-2023 -13(1)/2024 दिनांक 22-02-2024 का कड़ाई से अनुपालन किए जाने निर्देश निर्गत किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 के क्रम में इस निदेशालय के पत्र संख्या आ०ले०प०-1702/8160/अधि०/मानव सम्पदा/2018, दिनांक 25-08-2023 द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31-12-2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश दिनांक 18-08-2023 में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दिनांक 31-12-2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा तथा इस संबंध में दिनांक 01-01-2024 एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

इस सम्बन्ध में समीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आ रहा है कि अभी तक कार्मिकों द्वारा संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर फ़ीड नहीं किया गया है। अतः आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत लेखा, लेखा परीक्षा तथा सहायक लेखा अधिकारी संवर्ग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार तत्काल अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण फ़ीड किया जाना सुनिश्चित करें ।

दिनांक 01-01-2024 एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में यदि चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया होगा, तो इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण, कार्मिक द्वारा पोर्टल पर सृजित व्यक्तिगत id से login करते हुए General link के Property Return सब लिंक में जाकर दर्ज करना होगा । यदि कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो declaration का विवरण भरा जाना अनिवार्य है।

अपर आयुक्त (प्र०) 5985

(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक- आ०ले०प०- /8160/अधि०/मा0स0/2018, दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, वित्त (सेवाएं) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2- समस्त लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों को उनके तैनाती विभाग/कार्यालय के माध्यम से अनुपालनार्थ ।
3- समस्त अधिष्ठान पटल प्रभारी, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ।
4- प्रभारी, IT CELL को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

कृते आयुक्त 19.3.24

निदेशक

अपर आयुक्त (प्रशा) 20/3/2024

1683

22/3/24

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ–226007

Website:-upiaad.up.gov.in | Telephone:-0522-4331772/0522-4331773
E-mail:-dia.upfinance@gmail.com | E.H.R.M.S Code:-1531435

पत्रांकः– आ0ले0प0– 4198 /8089/च0प्र0प्रो0/2022, लखनऊः दिनांकः 15-3-2024

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

विषयः– लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0–10–20099/41/2023–23–I/492212/2024, दिनांक 09.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय परीक्षा दिनांक 24.09.2001 से समाप्त की गयी है, जिसके दृष्टिगत् विभागीय परीक्षा से आच्छादित लेखा एवं लेखा परीक्षक संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जानी है, जिसके दृष्टिगत् उनकी सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक के पद पर योगदान करने की तिथि से अद्यतन मूल/प्रमाणित चरित्र प्रविष्टियां तथा तत्समय उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक/न्यायिक/अभियोजन से सम्बन्धित कार्यवाही की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रवीन्द्र कुमार)
अपर निदेशक।

पृ0सं0– आ0ले0प0-- /8089/च0प्र0प्रो0/2022, तददिनांक :

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 सेल, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि निदेशालय की वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक।

अपर आयुक्त (प्र0)

कृते आयुक्त
4.4.24

64

उपर आयुक्त (उपा)
05-4.2024

32

सं0-म0ई0-I/492212/दस-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी,2024

विषय- उ0प्र0 के लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकारों की लेखाकार तथा लेखा परीक्षक संवर्ग के लेखा परीक्षकों की ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को दिनांक 24.09.2001 से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आ0ले0प0-3365/4308/अधि0/मार्गदर्शन/2020, दिनांक 01.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या-1161/2023 दिलीप कुमार सेन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 के अनुपालन में सहायक लेखाकार के पद से लेखाकार तथा लेखा परीक्षक पद से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा की व्यवस्था, जिसे शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1852/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 10.10.2011 एवं शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 10.10.2011 द्वारा दिनांक 10.10.2011 से समाप्त किया गया है, को दिनांक 24.09.2001 से समाप्त किये जाने पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

2- रिट याचिका संख्या-1161/2023 दिलीप कुमार सेन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"In view thereof, the impugned order dated 13.02.2020 cannot stand and the recommendation of the D.P.C. dated 25.07.2022 to the effect it defers declaration of result of the petitioner on the ground of pendency of the matter before the State Government cannot stand and are set aside. The D.P.C. is directed to declare the result of petitioner within a period of two weeks from the date a certified copy of this order is placed before it. With the aforesaid direction, writ petition is allowed."

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-1808/दस-2001-44-2001, दिनांक 24.09.2001 में उ0प्र0 के लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकारों की लेखाकार तथा लेखा परीक्षक संवर्ग के लेखा परीक्षकों की ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का प्राविधान किया गया था। नियमों में व्यवस्था होने के बावजूद अर्हकारी विभागीय परीक्षा कभी आयोजित ही नहीं हुयी। कालान्तर में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1852/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 10.10.2011 एवं शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 10.10.2011 द्वारा विभागीय परीक्षा की उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 24.09.2001 से दिनांक 10.10.2011 के मध्य शासनादेश के विपरीत बिना विभागीय

परीक्षा पास किये ही सहायक लेखाकार से लेखाकार तथा लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर की गयी पदोन्नतियो को शासनादेशों में प्रतिपादित व्यवस्था के विपरीत होने के आशय का पत्र संख्या-एस0ई0-130/दस-2020-आ०-6/2018, दिनांक 13.02.2020 निर्गत किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा **set aside** कर दिया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1161/2023 दिलीप कुमार सेन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 के अनुपालन में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या- एस0ई0-130/दस-2020-आ०-6/2018, दिनांक 13.02.2020 को अवक्रमित करते हुये वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अर्द्धशा0 पत्र संख्या-वे0 आ0-2-1808/दस-2001-44-2001, दिनांक 24.09.2001 में सहायक लेखाकार से लेखाकार तथा लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी व्यवस्था को उक्त शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अर्थात दिनांक 24.09.2001 से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त स्थिति से अवगत होते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं तदैव दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
510/217, नया हैदराबाद, लखनऊ–226007

Website:-upiaad.up.gov.in
E-mail:-dia.upfinance@gmail.com
Telephone:-0522–4331772 / 0522–4331773
E.H.R.M.S Code:-

पृष्ठांकन सं0–आ0ले0प0–3907 /4308/अधि0/मार्ग दर्शन/2020 दिनांक 21-2-2024

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09–02–2024 की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षो को शासन के पत्र संख्याः–एस0ई0– 45/दस–2024 दिनांक 12–02–2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
अपर निदेशक।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ–226007

Website:-upiaad.up.gov.in
Telephone:-0522–4331772/0522–4331773
E-mail:-dia.upfinance@gmail.com
E.H.R.M.S Code:-1531435

अत्यंत महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- आ०ले०प०-4097/8160/अधि०/मा0स0/2018, दिनांक 07–मार्च, 2024

विषय: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 द्वारा मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 तथा इस निदेशालय के पार्श्वांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को ससमय, सुरक्षित त्वरित तथा पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एन0 आई0 सी0 द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किये जाने (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन आदि), मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबंधन, वेतन आहरण,सेवा पुस्तिका प्रबंधन इत्यादि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए है।

क्र सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	आ0ले0प0-4044/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2021	17-12-2021
2	आ0ले0प0-480/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	27-04-2022
3	आ0ले0प0-2454/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	13-09-2022
4	आ0ले0प0-3538/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	23-12-2022
5	आ0ले0प0-4037/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	25-01-2023
6	आ0ले0प0-159/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	18-04-2023
7	आ0ले0प0-335 /अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	01-05-2023
8	आ0ले0प0-1701/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	25-08-2023
9	आ0ले0प0-1895/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	11-09-2023
10	आ0ले0प0-2247/अधि0/मानव संपदा पोर्टल/2018	06-10-2023

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात कार्मिकों के डाटा अभी तक शुद्ध एवं पूर्ण नहीं हो पाए हैं। उक्त के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, उसके बाद भी काफी संख्या में e service book इस निदेशालय में अप्राप्त हैं/अपूर्ण हैं।

यह भी अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1161/2023 दिलीप कुमार सेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के वाद में मा0 न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या-10-20099/41/2023-23-335/3 दिनांक 09-02-2024 द्वारा विभागीय परीक्षा समाप्त की जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में निदेशालय स्तर से काफी संख्या में पदोन्नतियाँ, तथा वित्तीय स्तरोन्नयन (ACP) स्वीकृत किए जाने हैं। कार्मिकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर पूर्ण एवं शुद्ध न होने पर पदोन्नतियों/वित्तीय स्तरोन्नयन में विसंगति भी उत्पन्न हो सकती है। विसंगति उत्पन्न होने पर तैनाती कार्यालय तथा कार्मिक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

अतः कृपया आपके अधीन कार्यरत लेखा संवर्ग के समस्त कार्मिकों का डाटा उपरोक्तानुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि पोर्टल पर डाटा अपडेट न होने कारण कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से बच जा सके। इस हेतु आपका व्यक्तिगत सहयोग वांछित है।

भवदीय

(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक

अपर आयुक्त (प्र०)

क्षेत्र आयुक्त
19.3.24

5983

उप निदेशक (प्र०)

उप निदेशक (प्रशा)
20/3/2024

1685

पत्र एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, वित्त (सेवाएं) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा शुद्ध एवं पूर्ण किए जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश जारी करने का कष्ट करें। ।
4- समस्त जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5- समस्त लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों को उनके तैनाती विभाग/कार्यालय के माध्यम से अनुपालनार्थ ।
6- समस्त अधिष्ठान पटल प्रभारी, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ।
7- प्रभारी, IT CELL को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

निदेशक